29-12-2020

पत्रावली बास्ते आदेश आज पेश हुई। वकील वादीगण उप० प्रकरण में बहस वकील वादीगण पूर्व में सुनी जा चुकी है। दरवक्त बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात तथा भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला के जवाब ० आदि का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादीगण के समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, आधार कार्ड आदि में वादीगण के पति/ पिता का नाम धन्नाराम ही दर्ज है। सरपंच ग्रा०पं० जाजोद ने भी धन्नाराम व दर्शन एक ही व्यक्ति बताये है। भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला ने भी अपने

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला [illegible]

| ...ख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जवाब में उक्त दुरुस्ती हेतु अभिशंषा की है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के आलोक में वाद, वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि — | |

## आदेश

तन ग्राम खेड़ी-चारणान प० ह० जाजोद तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख०नं० 330, 324, 326, 329, 334, 335, 337, 325, 332 के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पति/पिता का नाम "दर्शन" के स्थान पर "धन्नाराम" दुरुस्त किया जाता है। हुक्मानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29-12-2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला
सत्यमेव जयते